षोडश

बिहार विधान सभा

त्रयोदश सत्र

अल्पसूचित प्रश्न

वर्ग-2

मंगलवार, तिथि 25 आषाढ़, 1941 (श०) / 16 जुलाई, 2019 (ई०)

प्रश्नों की कुल संख्या 02

(1)	शिक्षा विभाग	02
	कुल योग --	02

दोषी पदाधिकारी पर कार्रवाई

'क'-12. श्री ललित कुमार यादव--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि वर्ष 2012 में मॉडल स्कूल योजना में राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अन्तर्गत मेधावी ग्रामीण छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से बिहार में शैक्षणिक रूप से पिछड़े प्रखंडों में 368 मॉडल स्कूल का निर्माण की स्वीकृति दी गई है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त मॉडल स्कूल के प्राक्कलन तैयार करते समय विभागीय पदाधिकारी द्वारा फर्निचर एवं अन्य सुविधा (खुला नाटकशाला, बॉस्केटबॉल अथवा वॉलीबाल कोर्ट) को शामिल नहीं किया गया ;

(3) क्या यह बात सही है कि प्राक्कलन में फर्निचर एवं अन्य सुविधा शामिल नहीं किये जाने से विद्यार्थियों को 368 विद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं मिल पा रही है ;

(4) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त विद्यालयों के विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने एवं इसके लिये दोषी पदाधिकारी को चिह्नित कर कार्रवाई करने का विचार रखती है; हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई

17. श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी--स्थानीय दैनिक समाचार-पत्र में दिनांक 25 जून, 2019 को प्रकाशित शीर्षक ''तीसरी की किताब में उल्टा तिरंगा व अशुद्ध राष्ट्रगान'' को ध्यान में रखते हुये क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पूर्णियाँ जिला के सरकारी स्कूलों में ''पर्यावरण और हम भाग-1'' नामक किताब तीसरी कक्षा में छात्रों को पढ़ाई जाती है ;

(2) क्या यह बात सही है कि वर्णित किताब में छपे राष्ट्रीय तिरंगा झंडा के शीर्ष पर हरा रंग एवं नीचे के भाग पर केसरिया रंग छपा है ;

(3) क्या यह बात सही है कि इसी वर्णित पुस्तक में अशुद्ध राष्ट्रगान मुद्रित है ;

(4) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उल्टा तिरंगा झंडा एवं अशुद्ध राष्ट्रगान मुद्रित करने वाले दोषियों के विरुद्ध कौन-सी कार्रवाई करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

पटना :
दिनांक 16 जुलाई, 2019 (ई0) ।

बटेश्वर नाथ पाण्डेय,
सचिव,
बिहार विधान सभा ।

नोट--'क'-दिनांक 9 जुलाई, 2019 को सदन द्वारा स्थगित ।

बि0स0मु0 41(एल0ए0), 2019-20-डी0टी0पी0-550